

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नारायणपुर, (छत्तीसगढ़)

दूरभाष क्र०-07781-252310 (फैक्स) 252310 email id: deonpr74@gmail.com

क्रमांक/स्थापना/शिक्षा व्यवस्था/अ.षि.2019/

नारायणपुर, दिनांक

/07/2019

// अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु संशोधित विज्ञापन //

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 12-7/2014/20-2/अटल नगर रायपुर, दिनांक 24/06/2019 के तहत राज्य अंतर्गत शासकीय शालाओं में अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र के तारतम्य में नारायणपुर जिले में संचालित शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के रिक्त पदों पर अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है, इस हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

// रिक्त पदों का विवरण //

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	विषयवार रिक्त पदों की संख्या						
		अंग्रेजी	गणित	भौतिक	रसायन	जीव विज्ञान	वाणिज्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नारायणपुर	7	15	9	6	8	4	49
2	ओरछा	3	3	1	0	3	1	11
योग :-		10	18	10	6	11	5	60

(विद्यालयवार रिक्त पदों की सूची संलग्न)

- शैक्षणिक योग्यता :-** संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड।
- अतिथि शिक्षक चयन हेतु वरीयता क्रम :-**
 - सर्वप्रथम विद्यामितान द्वारा पूर्व में सेवाये दी गई हो, तो उन्हीं विद्यामितानों की सेवायें अतिथि शिक्षक के रूप में ली जायेगी।
 - तत्पश्चात् अतिथि शिक्षक चयन हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम राजस्व जिला (नारायणपुर) के आवेदकों को दी जाएगी, जिले में उम्मीदवार न होने पर दूसरी प्राथमिकता राजस्व संभाग को दी जाए एवं अंत में संभाग स्तर में उम्मीदवार न मिलने पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था का क्षेत्र राज्य स्तर होगा।
 - तत्पश्चात् विद्यामितान उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य आवेदकों से प्राप्त आवेदन में स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन किया जाए।
 - इनमें से किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर में समान अंक होने पर अधिक उम्र के आवेदक का चयन किया जायेगा।
 - अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा कमष: 21-45 वर्ष होगी।
- मानदेय :-** अतिथि शिक्षक को 18000.00 (रु० अठारह हजार रु० मात्र) मासिक। इसका भुगतान शाला प्रबंध एवं विकास समिति द्वारा किया जायेगा।
- उपस्थिति :-** संस्था प्रमुख द्वारा अतिथि शिक्षक की उपस्थिति हेतु पृथक से पंजी संधारित की जायेगी एवं मानदेय का भुगतान उक्त प्रमाणित पंजी के आधार पर ही होगा। निर्धारित कार्य दिवस में अध्यापन नहीं किये जाने पर आनुपातिक रूप से मानदेय की कटौती की जायेगी।

5. अन्य शर्तें :-

- 5.1 अतिथि शिक्षक मात्र एक अंतरिम व्यवस्था है, अतः किसी प्रकार का कोई नियमानुसार नियुक्ति अथवा पदस्थापना आदेश जारी नहीं किये जायेगे, अपितु चयनित होने के उपरांत संबंधित संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के औपचारिक निर्देश समिति के अध्यक्ष के द्वारा दिये जायेगें।
- 5.2 शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था नियमित शिक्षक के पदभार ग्रहण करने तक प्रभारी होगी।
- 5.3 अतिथि शिक्षकों की शैक्षिक व्यवस्था कभी भी शाला प्रबंध एवं विकास समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
- 5.4 अतिथि शिक्षकों की अध्यापन के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी, साथ ही संस्था प्रमुख के निर्देशों का भी पालन करेगें।

अतः अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र डाक के माध्यम से संबंधित संस्था/विद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 15/07/2019 जमा कर सकते हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला नारायणपुर

पृ0क्रमांक/स्थापना/पदस्था./2018-19/
प्रतिलिपि:-

नारायणपुर, दिनांक /02/2019

- 1- सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
- 2- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय इन्द्रावती भवन अटल नगर नया रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
- 3- कलेक्टर जिला नारायणपुर को सादर सूचनार्थ ।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर को सादर सूचनार्थ ।
- 5- सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय बस्तर संभाग को सादर सूचनार्थ ।
- 6- उपसंचालक, जनसम्पर्क जिला नारायणपुर की ओर सूचनार्थ । समस्त समाचार पत्रों में निष्पुलक प्रकाशन करने कराना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला सूचना एवं प्राद्योगिकी अधिकारी (NIC) जिला नारायणपुर को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
- 8- प्राचार्य शा.हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलको सूचनार्थ एवं पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9- खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड नारायणपुर /ओरछा को सूचनार्थ । अध्यक्ष, शाला प्रबंध एवं विकास समिति शा.हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलको सूचनार्थ एवं पालनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

जिला शिक्षा अधिकारी,

जिला नारायणपुर

अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

- आवेदित पद का नाम :- विषय :-
- आवेदित शाला का नाम (प्राथमिकता क्रम में) :-
1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :-
 - आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) :-
 2. पिता/पति का नाम :-
 3. लिंग (पुरुष/महिला) :-
 4. जाति /वर्ग :-
 5. जन्मतिथि (अंकों में) :-
 - जन्मतिथि (षब्दों में) :-
 6. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :-
 -
 7. स्थायी पता :-
 -
 8. मोबाइल नम्बर :-
 9. क्या आवेदक नारायणपुर जिले का निवासी है (हाँ/नहीं) प्रमाण पत्र संलग्न करें। :-
 10. शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता :-

क्र०	परीक्षा का नाम	विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि. वि. का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

11. क्या पूर्व में विद्या मितान के रूप में सेवाएँ दी गई है।(हाँ/नहीं) :-कार्यअनुभव वर्ष :-.....
(हाँ तो पूर्व में शाला का नाम दें) :-
12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
-

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण मेरे विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। तथा आवेदित पद के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखती हूँ। कोई भी जानकारी असत्य या अपूर्ण पाए जाने पर उक्त पद के लिए मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम एवं पता.....